



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बीएनएसएस के तहत आवेदन संख्य

- 4330 वर्ष 2026

महजद एवं एक अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : संतोष कुमार गुप्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल,

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
2. यह आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 159 वर्ष 2025, धारा 191(2), 191(3), 190, 352, 351(3), 109(1), 324(4) भारतीय न्याय संहिता, के अंतर्गत, थाना असमोली, जनपद संभल में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण को ग्रामीय रंजिश के कारण वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। प्राथमिकी आवेदकगण सहित कुल 27 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध सामान्य आरोपों के आधार पर दर्ज की गई है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण वास्तव में जनहित याचिका संख्या 1230 वर्ष 2024 (महजद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य) के प्रति प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। आगे प्रस्तुत किया गया कि सूचनाकर्ता, दिव्यांशु चौधरी, एक भू-माफिया है, जिसने ग्राम सभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कर रखा है। जब आवेदकगण एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा उक्त अतिक्रमण का विरोध किया गया, तो सूचनाकर्ता ने पुलिस के साथ मिलीभगत कर आवेदकगण एवं अन्य ग्रामीणों पर दबाव बनाने के उद्देश्य से वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण का आपराधिक इतिहास है, जिसे विधिवत रूप से स्पष्ट किया गया है। आवेदकगण की ओर से कोई विशिष्ट भूमिका आरोपित नहीं की गई है। उनके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है, न ही उनकी निशानदेही पर कोई बरामदगी हुई है। आगे प्रस्तुत किया गया कि विवेचना अभी लंबित है तथा आवेदकगण को उपरोक्त प्रकरण में गिरफ्तारी की उचित आशंका है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया गया, किंतु अभिलेख से उपरोक्त प्रस्तुत कथनों का संतोषजनक रूप से खंडन नहीं किया जा सका।

5. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया कि अग्रिम जमानत का लाभ केवल पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक सीमित रखा जाए।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों, आरोपों की प्रकृति तथा आवेदकगण के पूर्ववृत्त पर विचार करते हुए तथा गुण-दोष के आधार पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे मत में आवेदकगण पुलिस आख्या प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने के हकदार हैं।

7. यदि आवेदकगण- **महजद एवं साजिद** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें पुलिस आख्यापत्र प्रस्तुत होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, यदि कोई हो, धारा 193(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत, इस शर्त पर कि वे रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करेंगे, जिसे संबंधित थाना प्रभारी की संतुष्टि पर स्वीकार किया जाएगा, साथ ही निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगे:-

(i) आवेदकगण आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ हेतु स्वयं को उपलब्ध कराएंगे;

(ii) आवेदकगण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित है, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदकगण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत से बाहर नहीं जाएंगे तथा यदि उनके पास यात्रा-पत्र है तो वह उसे संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष जमा करेंगे।

8. यदि उपरोक्त किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विवेचक को अग्रिम जमानत की समाप्ति हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

9. विवेचक को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान प्रकरण की विवेचना विधि अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर, इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए, स्वतंत्र रूप से पूर्ण करे।

10. आवेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के समक्ष दस दिन के भीतर प्रस्तुत करें, जो इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।

11. आवेदन निस्तारित किया जाता है।

दिनांक 12.06.2026

पी. पाण्डेय

(माननीया न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।